

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 49 / 2022-23

—:आदेशः—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक— 393, दिनांक— 20.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका गौरी देवी उर्फ गोरिया देवी, पिता— सोमर रवानी, पति— स्व० जटल रवानी, साकिम— भुरुंगिया, थाना— महुदा, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— हरिणा, मौजा नं०— 101, गत खाता सं०— 45, गत प्लॉट सं०— 228, 579, 458, 596, 13, नया खाता सं०— 130, नया प्लॉट सं०— 284, 1038, 486, 1099, 37, क्रमशः रकवा— 12 डिं०+ 04 डिं०+ 12 डिं०+ 4.5 डिं०+ 05 डिं०, कुल रकवा— 37.50 डिसमील विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कहार है तथा दोनो एक ही थाना— हरिणा, जिला— धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, विक्री के पश्चात् आवेदक के पास 46 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

गयी है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
घनबाद।